रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02112021-230898
CG-MH-E-02112021-230898

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 538] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943
No. 538] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 26 अक्तूबर, 2021

फा.सं. टीएएमपी/39/2021-वीपीटी.— महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) के 11 जुलाई 2018 के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष के अनुपालन में डीबीएफओटी आधार पर वीपीटी के सामान्य कार्गो बर्थ स्थित कोकिंग कोयला और स्टीम कोयला के मशीनीकृत प्रहस्तन के लिए विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्राइवेट लि. (वीजीसीबीपीएल) के नाम में दरमान अधिसूचित कराने वाले इस प्राधिकरण के 11 जनवरी 2013 के आदेश संख्या टीएएमपी/58/2008-वीपीटी द्वारा अनुमोदित और लगातार तीसरे वर्ष में 21 जनवरी 2021 से 20 जनवरी, 2022 तक की अवधि के लिए संशोधित भंडारण प्रभारों को अधिसूचित कराने के लिए भंडारण प्रभार को तर्कयुक्त बनाने के विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव का इसके साथ संलग्न आदेशानुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

<u>मामला संख्या टीएएमपी/39/2021-वीपीटी</u>

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास - - - **आवेदक**

<u>गणपूर्ति</u>

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्तूबर 2021 के 25 वे दिन पारित)

यह मामला तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) के 11 जुलाई 2018 के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष के अनुपालन में डीबीएफओटी आधार पर वीपीटी के सामान्य कार्गो बर्थ स्थित कोर्किंग कोयला और स्टीम कोयला के मशीनीकृत प्रहस्तन के लिए विजाग जनरल कार्गो बर्थ प्राइवेट लि. (वीजीसीबीपीएल) के नाम में दरमान अधिसूचित करने वाले इस प्राधिकरण के 11 जनवरी 2013 के आदेश संख्या टीएएमपी/58/2008-वीपीटी द्वारा अनुमोदित और लगातार तीसरे वर्ष में 21 जनवरी 2021 से 20 जनवरी, 2022 तक की अवधि के लिए संशोधित भंडारण प्रभारों को अधिसूचित कराने के लिए भंडारण प्रभार को तर्कयुक्त बनाने के विशाखापत्नम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. वीपीटी ने 27 जुलाई 2021 के अपने ई-मेल के द्वारा रूग्ण पीपीपी परियोजना के संबंध में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) (पूर्ववर्ती पोत परिवहन मंत्रालय) के 11 जुलाई 2018 के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष के हवाले से 26 जुलाई 2021 के पत्र संख्या आईआरएनपी/एसटीडीएस/वीजीसीबी/ 2020 के द्वारा अपना पूरा प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव की पावती भेजते समय, हमारे 30 जुलाई 2021 के पत्र के द्वारा वीपीटी को वांछित सूचना भेजने का अनुरोध किया गया था। वीपीटी ने 03 अगस्त, 2021 के अपने ई-मेल द्वारा अपना उत्तर भेजा। उक्त प्रस्ताव को वीजीसीबीपीएल तथा वीपीटी के संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों के साथ परामर्श के लिए लिया गया। वीपीटी ने वीजीसीबीपीएल की और प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों का उत्तर दिया। इस मामले में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से 31 अगस्त 2021 को एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया। संयुक्त सुनवाई में वीपीटी वीजीसीबीपीएल और संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठन निकायों द्वारा अपने-अपने निवेदन रखे गए।

3. मामले की संक्रिया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के हवाले से, भंडारण प्रभारों के यौक्तिकीकरण के लिए वीपीटी द्वारा दायर प्रस्ताव का निपटान करते हुए इस प्राधिकरण ने 11 जनवरी 2013 के आदेश संख्या टीएएमपी/58/2008-वीपीटी के द्वारा सकारण आदेश पारित किया। एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र संख्या पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष के अनुपालन में डीबीएफओटी आधार पर वीपीटी के सामान्य कार्गो बर्थ में कोकिंग कोयले और स्टीम कोयले के मशीनीकृत प्रहस्तन के लिए वीजीसीबीपीएल के नाम से दरमान अधिसूचित कराये और लगातार तीसरे वर्ष के लिए यानी 21 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2022 तक के लिए संशोधित भंडारण प्रभार अधिसूचित कराये।

4.1. परिणाम में और उपरोक्त कारणों से तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण वीजीसीबीपीएल द्वारा परिचालित टर्मिनल के लिए 01 जून 2020 के आदेश संख्या टीएएमपी/14/2020-वीपीटी के साथ पठित 11 जनवरी, 2013 के आदेश संख्या टीएएमपी/58/2008-वीपीटी द्वारा अनुमोदित युक्तिकृत भंडारण प्रभार के विस्तार के प्रस्ताव को 20 जनवरी 2021 से एक वर्ष की अवधि के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है और तदनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा वीजीसीबीपीएल के नाम से दरमानों को अधिसूचित कराने वाले 11 जनवरी, 2013 के आदेश संख्या टीएएमपी/58/2008-वीपीटी में अनुमोदित आदेश में अनुसूची 4 के अंतर्गत लागू दरों का निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:

(रु. में प्रति टन प्रति दिन अथवा उसका एक भाग)

क्र.सं.	विवरण	11 जनवरी 2013 के आदेश संख्या टीएएमपी/58/2008-वीपीटी के अनुसार सूचकांकन कारक लागू करने के पश्चात् लागू भंडारण प्रभार			21.1.2020 से 20.1.2021 तक की अवधि के लिए 2 जून 2021 के आदेश संख्या टीएएमपी/14/2020-वीपीटी द्वारा संशोधित सूचकांकित भंडारण प्रभार		21.1.2021 से 20.1.2022 तक की अवधि के लिए संशोधित सूचकांकित भंडारण प्रभार	
		वर्ष 2018-19 के लिए लागू भंडारण प्रभार	वर्ष 2019-20 के लिए लागू भंडारण प्रभार	वर्ष 2020-21 के लिए लागू भंडारण प्रभार	21.1.2020 से 31.3.2020 तक संशोधित सूचकांकित भंडारण प्रभार	01.4.2020 से 20.1.2021 तक संशोधित सूचकांकित भंडारण प्रभार	21.1.2021 से 31.3.2021 तक संशोधित सूचकांकित भंडारण प्रभार (1.13%)	01.4.2021 से 20.1.2022 तक संशोधित सूचकांकित भंडारण प्रभार

								(0.33%)
1.	भंडारण प्रभार (0-10 दिन)	**कोई प्रभार नहीं**	**कोई प्रभार नहीं**	**कोई प्रभार नहीं**	**कोई प्रभार नहीं**	**कोई प्रभार नहीं**	**कोई प्रभार नहीं**	**कोई प्रभार नहीं**
2.	भंडारण प्रभार (11-15 दिन)	**2.06**	**2.11**	**2.13**	**कोई प्रभार नहीं**	**कोई प्रभार नहीं**	**कोई प्रभार नहीं**	**कोई प्रभार नहीं**
3.	भंडारण प्रभार (16-20 दिन)	**4.11**	**4.21**	**4.26**	**कोई प्रभार नहीं**	**कोई प्रभार नहीं**	**कोई प्रभार नहीं**	**कोई प्रभार नहीं**
4.	भंडारण प्रभार 21 वे दिन और उससे आगे	**8.22**	**8.43**	**8.53**	**8.43**	**8.53**	**8.53**	**8.56**

टिप्पण:

(i). 20 नि:शुल्क दिवसों की अनुमति होगी। नि:शुल्क अवधि की शुरूआत कार्गो पोत की पूर्ण उतराई के दिन से आरंभ होगी। नि:शुल्क अवधि की गणना के उद्देश्य के लिए सीमाशुल्क की अधिसूचित छुट्टियां और टर्मिनल के अकार्यकारी दिवस शामिल नहीं किए जाएंगे।

(ii). सभी दिनों के लिए भंडारण शुल्कों का भुगतान होगा जिसमें टर्मिनल के अकार्यकारी दिवस शामिल होंगे तथा निर्धारित नि:शुल्क दिवसों से ज्यादा समय के लिए कार्गो के ठहराव हेतु सीमा-शुल्क की अधिसूचित छुट्टियां शामिल होगी।

(iii). उस अवधि के लिए कार्गो पर भंडारण शुल्क पराप्त नहीं होगा जब टर्मिनल आपरेटर पर आरोप्य कारणों की वजह से उपयोगकर्ता द्वारा किए गए अनुरोध पर टर्मिनल आपरेटर कार्गो की सुपुर्दगी देने में असमर्थ है।

(iv). उक्त भंडारण प्रभार अनुसूची 21 जनवरी 2021 से 20 जनवरी 2022 तक प्रभावी होगी।

4.2. वीजीसीबीपीएल को यह भी निदेश दिया जाता है कि वे प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 15 दिन के भीतर वीपीटी के माध्यम से प्रहस्तित कार्गो-वार प्रमात्रा सहित तिमाही वास्तविक निष्पादन प्रस्तुत करे और वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के दो महीने के भीतर वास्तविक और वित्तीय दोनों के वार्षिक निष्पादन प्रस्तुत करें।

5. इस प्राधिकरण द्वारा पारित सकारण आदेश अलग से सूचित किया जायेगा तथा वीपीटी, वीजीसीबीपीएल तथा संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को बाद में संसूचित कर दिया जायेगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन,सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./397/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 26th October, 2021

F.No.TAMP/39/2021-VPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for rationalization of storage charge approved by the Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying the Scale of Rates in the name of the Vizag General Cargo Berth Pvt. Ltd. (VGCBPL) for mechanized handling of coking coal and steam coal at General Cargo Berth of VPT on DBFOT basis in pursuance of the then Ministry of Shipping (MOS) letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 and notify revised storage charge for the third consecutive year w.e.f. 21 January 2021 till 20 January 2022 as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

<u>Case No. TAMP/39/2021-VPT</u>

Visakhapatnam Port Trust - - - **Applicant**

<u>QUORUM</u>

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 25th day of October 2021)

This case relates to the proposal received from the Visakhapatnam Port Trust (VPT) for rationalization of storage charge approved by this Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying the Scale of Rates in the name of the Vizag General Cargo Berth Pvt. Ltd. (VGCBPL) for mechanized handling of coking coal and steam coal at General Cargo Berth of VPT on DBFOT basis in pursuance of the then Ministry of Shipping (MOS) letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 and notify revised rationalized storage charge for the third consecutive year w.e.f. 21 January 2021 till 20 January 2022.

2. The VPT has vide its email dated 27 July 2021 forwarded its complete proposal vide its letter No.IRNP/Stds/VGCB/2020 dated 26 July 2021 referring to the Ministry of Ports, Shipping and Waterways [MOPSW] (*erstwhile Ministry of Shipping*) letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 regarding Stressed PPP project. While acknowledging the proposal, the VPT vide our letter dated 30 July 2021 was requested to furnish requisite information. The VPT has responded vide its e-mail dated 03 August 2021. The said proposal was taken on consultation with the VGCBPL and the concerned users/ user organisations at the VPT. The comments furnished by the VGCBPL and users/ user organisations were forwarded to the VPT as feedback information. The VPT has responded to the comments of the VGCBPL and users/ user organizations. A joint hearing in this case was held on 31 August 2021 through Video Conferencing. At the joint hearing, the VPT, VGCBPL and the concerned users/ organisation bodies have made their submissions.

3. With reference to the totality of information collected during the processing of the case, this Authority has passed a speaking Order disposing of the proposal filed by the VPT for rationalization of storage charge approved by the Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying the Scale of Rates in the name of the VGCBPL for mechanized handling of coking coal and steam coal at General Cargo Berth of VPT on DBFOT basis in pursuance of MOS letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 and to notify revised storage charge for the third consecutive year w.e.f. 21 January 2021 till 20 January 2022.

4.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the proposal of VPT for extension of the rationalised storage charge approved by this Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 read with Order No.TAMP/14/2020-VPT dated 01 June 2020 for terminal operated by VGCBPL for a period one year w.e.f. 20 January 2021 and accordingly rates applicable under the Schedule 4 in Order approved by this Authority vide Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013 notifying the SOR in the name of the VGCBPL is amended as given below:

(in ₹ per tonne per day or part thereof)

Sl. No.	Particulars	Storage Charges applicable after applying indexation factor as per Order No.TAMP/58/2008-VPT dated 11 January 2013			Amended indexed storage Charge approved vide Order No.TAMP/14/2020-VPT dated 2 June 2020 for the period 21.1.2020 till 20.1.2021		Amended indexed storage Charge for the period 21.1.2021 till 20.1.2022	
		Storage Charge applicable for the year 2018-19	Storage Charge applicable for the year 2019-20	Storage Charge applicable for the year 2020-21	Amended indexed Storage Charge from 21.1.2020 till 31.3.2020	Amended Indexed Storage Charge from 01.4.2020 till 20.1.2021	Amended indexed Storage charge from 21.1.2021 to 31.3.2021 (1.13%)	Amended indexed Storage charge from 01.4.2021 to 20.1.2022 (0.33%)
1.	Storage Charges (0-10 days)	**No Charges**	**No Charges**	**No Charges**	**No Charges**	**No Charges**	**No Charges**	**No Charges**
2.	Storage Charges (11-15 days)	**2.06**	**2.11**	**2.13**	**No Charges**	**No Charges**	**No Charges**	**No Charges**
3.	Storage Charges (16-20 days)	**4.11**	**4.21**	**4.26**	**No Charges**	**No Charges**	**No Charges**	**No Charges**
4.	Storage Charges 21st Day onwards	**8.22**	**8.43**	**8.53**	**8.43**	**8.53**	**8.53**	**8.56**

Notes:

(i). 20 free days shall be allowed. Free period shall commence from the day following the day of complete discharge of vessel cargo. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.

(ii). Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non-working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.

(iii). Storage charges on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver/ ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the Terminal operator.

(iv). The above storage schedule shall be valid from 21 January 2021 till 20 January 2022.

4.2. The VGCBPL is also directed to furnish the quarterly physical performance including the cargo-wise volume handled through VPT within 15 days on the end of each quarter and annual performance both physical and financial within 2 months at the end of the financial year to this Authority.

5. The Speaking Order passed by this Authority will be intimated separately and communicated to the VPT, VGCBPL and the relevant users/ user organisations in due course of time.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./397/2021-22]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2021.11.02 16:50:00 +05'30'